न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर. ए. एस.
प्रकरण संख्या :- 36/12 ई.रे.

श्री बंशीदास पिता मगनदास जी जाति वैरागी उम्र वयस्क निवासी पारसोली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.

बनाम **वादी**

1. श्रीमती शंकरीबाई पत्नी मोडीदास जी जाति वैरागी उम्र वयस्क निवासी पारसोली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.
2. श्री रामदास पिता मगनदास जी जाति वैरागी उम्र वयस्क निवासी पारसोली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.
3. श्रीमान तहसील दार सा0 भूमीधारी जी/ उप पंजीयक महोदय जी बडीसादडी

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि.
वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः-

1. श्री गजेन्द्र सिंह झाला अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

// निर्णय // **दिनांक :-18/04/17**

वादी की ओर सें प्रस्तुत वाद पत्र के सक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजियात मौजा सग्रामपुरा तहसील बडीसादडी में खाता संख्या 40 की आराजी संख्या 13/1 रकबा 00.06 बिस्वा व 46/4 रकबा 1बिघा 15 बिस्वा स्थित होकर वर्णित आराजियात पुर्व में आराजी नम्बर 13 व आराजी नम्बर 46 का भाग थी जिसका विधिवत विभाजन न्यायालय द्वारा होकर उसकी इजराय पेश हूई जिसके कमाकं 49/88 होकर उक्त आराजी नम्बर 13 व 46 का विधिवत विभाजन हूआ तथा आराजी नम्बर 13/1 रकबा 06 बिस्वा व आराजी नम्बर 46/4 रकबा 1बिगा 15 बिस्वा जरिए नामान्तरण 119 दिनांक 30/8/88 को वादी बंशीदास के तनहा हिस्से में आयी तब से उक्त आराजीयात वादी के खातेदारी में तथा उसके कब्जेयाबी में चली आरही है तथा प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है फिर भी उनके द्वारा गलत तरिके से राजस्व कर्मियो से मिलकर उक्त आराजीयात में अपना नाम दर्ज करवा दिया जिसको वादी हटवाने तथा उक्त आराजीयात पूनः अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है। वर्णित आराजीयात को लेकर प्रतिवादी के द्वारा विवाद करने पर खाते की नकल निकलवाने पर जानकारी में आया की उक्त आराजीयात में प्रतिवादी कंमाक एक के पति व दो के द्वारा गलत तरिके से अपना नाम दर्ज करवा दिया जबकि

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

उक्त आराजीयात वक्त विभाजन से ही वादी के कब्जेयाबी में चली आरही है तथा उक्त विभाजन को व डिक्री को किसी भी न्यायालय के द्वारा निरस्त नही किया गया है तथा प्रतिवादी के द्वारा गूपचुप तरिके से उक्त आराजीयात में अपना नाम भी दर्ज करवा दिया जबकि उक्त आराजीयात के एक इचं भु भाग पर भी प्रतिवादी कंमाक एक व दो का कब्जा नही है तथा वादी उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर पूनः अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने की घोषणा कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रतिवादी कंमाक एक व दो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

बाद जाँच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड ई. रे. किया जाकर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया प्रतिवादीगण उपस्थित आये तथा अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादी कंमाक दो द्वारा जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा तनकियात कायम की गई दोराने साक्ष्य वादी प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई साक्ष्य वादी में पी. डब्ल्यु. एक वादीबंशीदास के बयान शपथ पत्र पर लेखबद्व कर प्रस्तूत किये गये दस्तावेज़ी साक्ष्य में जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज प्रदर्श कराये गये और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी समाप्त की गयी बहस एक तरफा वादी सुनी गयी।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी नामान्तरण से स्पष्ट है कि खाता संख्या 40 की आराजी संख्या 13/1 रकबा 00.06 बिस्वा व 46/4 रकबा 1बिघा 15. बिस्वा पुर्व में आराजी नम्बर 13 व आराजी नम्बर 46 का भाग थी जिसका विधिवत विभाजन न्यायालय द्वारा होकर विधिवत से आराजी नम्बर 13/1 रकबा 06 बिस्वा व आराजी नम्बर 46/4 रकबा 1बिगा 15 बिस्वा जरिए नामान्तरण 119 दिनांक 30/8/88 को वादी बंशीदास के तनहा हिस्से में आयी तब से उक्त आराजीयात वादी के खातेदारी में तथा उसके कब्जेयाबी में चली आरही है तथा उक्त आराजी को प्रतिवादी द्वारा गलत तरिके से अपने नाम पर दर्ज कराया गया है। जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में कही यह अकिंत नही किया की उक्त आराजी से उसका सम्बन्ध किस प्रकार से है। केवल यह अंकन किया की राजस्व रेकार्ड में उसका नाम है। इसलिए उसका हक हिस्सा हैं जबकि वादी को उक्त आराजी जरिए विभाजन व डिक्री से प्रप्त हुई हैं उक्त जवाब दावे में भी कही यह अंकित नही हैं कि उक्त डिग्री या विभाजन की कार्यवाही को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त डिक्री आज भी अस्तित्व में हैं तथा जो नामान्तरण वादी के पक्ष में खोला गया था वह भी अस्तित्व में हैं वादी ने अपना वाद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया हैं जहॉ तक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का कथन हैं वादी की और से ऐसी कोई ठोस साक्ष्य नही आयी जिससे प्रकट हो

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

कि प्रतिवादीगण उसके हक हिस्से की आराजी में दखल अन्दाजी कर रहे हैं अतः वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। वाद वादी आंशिक स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री जारी की जाती है।

मौजा सग्रामपुरा तहसील बडीसादडी में खाता संख्या 40 की आराजी संख्या 13/1 रकबा 00.06 बिस्वा व 46/4 रकबा 1बिघा 15 बिस्वा वादी बंशीदास पिता मंगनदास वैरागी के तनहा खातेदारी की घोषित की जाती हैं तथा अन्य खातेदारो का नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तदअनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

निर्णय आज दिनांक 18/04/17 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरीत कर सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी
उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)